अमृत

Atal Mission for Rejuvenation
and Urban Transformation

मिशन विवरण और दिशानिर्देश

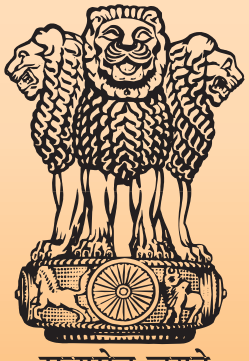

सत्यमेव जयते

शहरी विकास मंत्रालय

भारत सरकार

जून 2015

अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत)

मिशन विवरण और दिशानिर्देश

भारत सरकार
शहरी विकास मंत्रालय
(जून, 2015)

विषय–सूची

1.	प्रमुख क्षेत्र	6
2.	कवरेज	6
3.	मिशन घटक	6
4.	धनराशि का आबंटन	8
5.	वित्तपोषित किए जाने वाले घटक	10
6.	सेवा स्तरीय सुधार योजनाओं (एसएलआईपी) को तैयार करना	11
7.	राज्य वार्षिक कार्य योजना (एसएएपी)	14
8.	कार्य निष्पादन	15
9.	निधियां जारी करना	17
10.	कार्यक्रम प्रबंधन संरचना	18
11.	परियोजनाओं के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्टों का मूल्यांकन	22
12.	शहरी सुधार	24
13.	क्षमता निर्माण	24
14.	परियोजनाओं की निगरानी	25
15.	जिला स्तरीय समीक्षा और निगरानी समिति (डीएलआरएमसी)	25
16.	लेखा परीक्षा और मुकदमें संबंधी मामलें	25
17.	जेएनएनयूआरएम की अपूर्ण परियोजनाएं	26

अनुलग्नक

अनुलग्नक 1 :	अमृत शहरों के लिए सुधार उपलब्धि और समय–सीमा	29
अनुलग्नक 2 :	राज्य वार्षिक कार्य योजना का प्रारूप	32
अनुलग्नक 3 :	सी–डैक द्वारा विकसित स्मार्ट समाधान की सूची	59
अनुलग्नक 4 :	शहरों/राज्यों के लिए अंक सूची	60
अनुलग्नक 5 :	उपयोग प्रमाण–पत्र का प्रारूप (शहर–वार)	61
अनुलग्नक 6 :	परियोजना निधि हेतु अनुरोध	62
अनुलग्नक 7 :	वार्षिक क्षमता निर्माण योजना	65
अनुलग्नक 8 :	आद्योपान्त सहायता का क्षेत्र	74

अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन
(अमृत)

राष्ट्रीय प्राथमिकता के रूप में शहरों में परिवारों को बुनियादी सेवाएं (अर्थात, जलापूर्ति, सीवरेज, शहरी परिवहन) मुहैया कराने और सुख–सुविधाएं मुहैया कराने के उद्देश्य से अवसंरचना का सृजन करना है, जिससे विशेषतया गरीबों और वंचितों सभी के जीवन स्तर में सुधार होगा। उच्चाधिकार प्राप्ति विशेषज्ञ समिति (एचपीईसी) द्वारा वर्ष 2011 के दौरान वर्ष 2009–10 की कीमतों पर 20 वर्ष की अवधि के लिए अपेक्षित धनराशियों का एक आकलन किया गया था। समिति ने यह आकलन किया कि शहरी अवसरंचना के निर्माण के लिए 39.2 लाख करोड रू0 की राशि अपेक्षित थी जिसमें शहरी सड़कों के लिए 17.3 लाख करोड़ रू0 और जलापूर्ति, सीवरेज, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन और वर्षा जल निकासी जैसी सेवाओं के लिए 8 लाख करोड़ रू0 शामिल हैं। इसके अलावा, प्रचालन और अनुरक्षण (ओएंडएम) के लिए 19.9 लाख करोड़ रू0 का अलग से अनुमान लगाया गया था।

पूर्ववर्ती मिशन से प्राप्त अनुभव से यह पता चला है कि अवसंरचना सृजन का सभी परिवारों को जल और शौचालय कनैक्शन की सुलभता जैसी लोगों की वास्तविक आवश्यकताओं पर प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ेगा। इसका तात्पर्य यह है कि अवसंरचना सृजन पर मुख्य जोर हो जो लोगों को बेहतर सेवाएं मुहैया कराने से सीधे तौर पर जुडा हुआ है और इसका भारत के राष्ट्रपति द्वारा दिनांक 09 जून, 2014 और 23 फरवरी, 2015 को संसद के संयुक्त सत्र के अपने अभिभाषण में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया।

अतः अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत) का उद्देश्य (i) यह सुनिश्चित करना है कि प्रत्येक परिवार को निश्चित जलापूर्ति और सीवरेज कनैक्शन सहित नल सुलभ हो (ii) हरित क्षेत्र और सुव्यवस्थित खुले मैदान (अर्थात पार्क) विकसित करके शहरों की भव्यता में वृद्धि करना और (iii) गैर–मोटरीकृत परिवहन (अर्थात पैदल चलना और साईकिल चलाना) के लिए सुविधाओं के निर्माण अथवा सार्वजनिक परिवहन को अपनाकर प्रदूषण को कम करना। ये सभी परिणाम नागरिकों विशेषतया महिलाओं के लिए महत्ता रखते हैं और शहरी विकास मंत्रालय द्वारा सेवा स्तरीय बैंचमार्क (एसएलबी) के रूप में संकेतक और मानक निर्धारित किए गए हैं।

तथापि, बेहतर परिणामों का प्रयास सभी को नल और सीवरेज कनैक्शन (सभी को शामिल करते हुए) प्रदान करने पर नहीं रूकेगा। सभी को सेवाएं प्रदान करने के बेंचमार्क का लक्ष्य प्राप्त करने के बाद क्रम दर क्रम प्रक्रिया का अनुसरण करके अन्य बैंचमार्क का लक्ष्य बनाया जाएगा। बैंचमार्क प्राप्त करने की ऐसी उत्तरोत्तर प्रक्रिया को **'इंक्रीमेंटलिज्म'** कहा जाता है। इसका तात्पर्य यह नहीं है कि अन्य सेवा स्तरीय बैंचमार्क कम महत्वपूर्ण हैं, लेकिन उत्तरोत्तर वृद्धि प्रक्रिया में सेवा स्तरीय बैंचमार्क राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के अनुसार धीरे–धीरे प्राप्त किए जाते हैं। शहरी परिवहन के क्षेत्र में, बैंचमार्क का उद्देश्य निर्माण करते समय शहरों में प्रदूषण को कम करना है और वर्षा जल निकासी की अनुरक्षण लागत कम होने की आशा है और अन्ततः शहरों में बाढ़ की समस्या को समाप्त करता है जिससे शहरों को अधिक लचीला बनाया जा सकेगा।

पहले, शहरी विकास मंत्रालय परियोजना–दर–परियोजना स्वीकृति प्रदान करता था। अमृत में इसका, शहरी विकास मंत्रालय द्वारा वर्ष में एक बार राज्य वार्षिक कार्य योजना के अनुमोदन द्वारा प्रतिस्थापन किया गया है और राज्यों को अपने स्तर पर परियोजनाएं को स्वीकृति और अनुमोदन प्रदान करना होगा। इस प्रकार, अमृत राज्यों को परियोजनाओं की आयोजना और कार्यान्वयन में राज्यों को समान भागीदार बनाता हैं; अतः **सहकारी एकीकरण** की भावना झलकेगी।

मिशन को सफल बनाने के लिए एक सुदृढ़ सांस्थानिक संरचना मूल आधार है। अतः क्षमता निर्माण और सुधारों को मिशन में शामिल कर लिया गया है। सुधारों से सेवा सुलभता और संसाधन जुटाने में वृद्धि होगी और नगरपालिका के संचालन को अधिक पारदर्शी बनाएगा और पदाधिकारियों को अधिक जबावदेह बनाएंगे जबकि क्षमता निर्माण नगरपालिका पदाधिकारियों को अधिकार प्रदान करेगा और परियोजनाओं को समय पर पूरा किया जा सकेगा।

1. प्रमुख क्षेत्र

1.1 **मिशन में निम्नलिखित प्रमुख क्षेत्रों पर ध्यान दिया जाएगा :**

i. जलापूर्ति,

ii. सीवरेज सुविधाएं और सेप्टेज प्रबंधन,

iii. बाढ़ को कम करने के लिए वर्षा जल नाले,

iv. पैदल मार्ग, गैर–मोटरीकृत और सार्वजनिक परिवहन सुविधाएं, पार्किंग स्थल, और

v. विशेषतः बच्चों के लिए हरित स्थलों और पार्कों और मनोरंजन केन्द्रों का निर्माण और उन्नयन करके शहरों की भव्यता बढ़ाना।

2. कवरेज

2.1 अमृत के अंतर्गत पांच सौ शहरों को शामिल किया जाएगा। शहरों की सूची की अधिसूचना उपयुक्त समय पर जारी की जाएगी। उन शहरों की श्रेणी जिन्हें अमृत में शामिल किया जाएगा, का ब्यौरा नीचे दिया गया है:

i. छावनी बोर्ड (सिविलियन क्षेत्र) सहित अधिसूचित नगरपालिकाओं सहित एक लाख से अधिक जनसंख्या वाले सभी शहर और कस्बे,

ii. 2.1 (i), में शामिल नहीं किए गए सभी राजधानी शहर/राज्यों के कस्बे/संघ राज्य क्षेत्र

iii. हृदय स्कीम के अंतर्गत शहरी विकास मंत्रालय के द्वारा विरासत शहरों के रूप में वर्गीकृत सभी शहर/कस्बे,

iv. 75000 से अधिक और 1 लाख से कम जनसंख्या वाले 13 शहरों और कस्बों जो मुख्य नदियों के किनारे पर हैं, और

v. पर्वतीय राज्यों, द्वीप समूहों और पर्यटन स्थलों से दस शहर (प्रत्येक राज्य) से एक से अधिक शहर नहीं)

3. मिशन घटक

3.1 अमृत के घटकों में क्षमता निर्माण, सुधार कार्यान्वयन, जलापूर्ति, सीवरेज और सेप्टेज प्रबंधन, वर्षा जल निकासी, शहरी परिवहन और हरित स्थल और पार्क शामिल हैं। आयोजन के दौरान, शहरी स्थानीय निकायों को भौतिक अवसरंचना घटकों में कुछ स्मार्ट विशेषताओं को शामिल करने का प्रयास करना होगा। मिशन घटकों का ब्यौरा नीचे दिया गया है:–

3.1.1 जलापूर्ति

i. मौजूदा जलापूर्ति में वृद्धि करने जल शोधन संयंत्रों और सभी जगहों पर मीटर लगाने सहित वर्षा जल आपूर्ति प्रणाली,

ii. शोधन संयंत्रों सहित पुरानी जलापूर्ति प्रणालियों का पुर्नस्थापन,

iii. विशेषतया पेयजल आपूर्ति और भूमिगत जल पुनःभरण के लिए जलाशयों का पुनरुद्धार,

iv. उन क्षेत्रों सहित जिनमें जल की गुणवत्ता संबंधी समस्याएं है (उदाहरणार्थ आरसेनिक, फ्लोराइड) दुर्गम क्षेत्रों, पहाड़ी और तटीय शहरों के लिए विशेष जलापूर्ति प्रबंधन।

3.1.2 सीवरेज

i. मौजूदा सीवरेज प्रणालियों और सीवेज शोधन संयंत्रों के संवर्द्धन सहित विकेन्द्रीकृत, नेटवर्कबद्ध भूमिगत सीवरेज प्रणालियां,

ii. पुरानी सीवरेज प्रणालियों और शोधन संयंत्रों का पुनर्स्थापन,

iii. लाभकारी प्रयोजनों के लिए जल का पुनर्चक्रण और अपशिष्ट जल का पुनः उपयोग।

3.1.3 सेप्टेज

i. मल गाद प्रबंधन–कम लागत पर सफाई, परिवहन और शोधन,

ii. सीवर और सेप्टिक टैंको की यांत्रिकी और जैविक सफाई और प्रचालन की पूरी लागत वसूली।

3.1.4 वर्षा जल निकासी

i. बाढ़ को कम करने और समाप्त करने के उद्देश्यों से नालों और वर्षा जल नालों का निर्माण और सुधार

3.1.5 शहरी परिवहन

i. अंतर्देशीय जल मार्ग (पोत/खाड़ी अवसरंचना को छोड़कर) के लिए जलयान और बस,

ii. गैर मोटरीकृत परिवहन (जैसे साईकिलों) के लिए फुटपाथ/पथ, पटरी, फुट ओवर ब्रिज,

iii. बहुस्तरीय पार्किंग,

iv. द्रुत बस परिवहन प्रणाली (बीआरटीएस)।

3.1.6 हरित स्थल और पार्क

i. बच्चा हितैशी घटकों के लिए विशेष प्रावधान के साथ हरित स्थल और पार्कों का निर्माण करना।

3.1.7 सुधार प्रबंधन और सहायता

i. सुधार कार्यान्वयन के लिए सहायता सरंचना, कार्यकलाप और वित्तपोषण सहायता,

ii. स्वतंत्र सुधार मॉनीटरिंग एजेंसियां।

3.1.8 क्षमता निर्माण

i. इसके दो घटक हैं– व्यक्तिगत और सांस्थानिक क्षमता निर्माण,

ii. क्षमता निर्माण मिशन शहरों तक सीमित नहीं होगा बल्कि अन्य शहरी स्थानीय निकायों तक भी इसका विस्तार किया जाएगा,

iii. नए मिशनों के साथ इसके रिएलायनमेंट के बाद व्यापक क्षमता निर्माण कार्यक्रम (सीसीबीपी)।

3.1.9 अस्वीकार्य घटकों की सांकेतिक सूची (सम्पूर्ण नहीं)

i. परियोजनाओं अथवा परियोजना संबंधित कार्यों के लिए भूमि की खरीद,

ii. राज्य सरकारों/शहरी स्थानीय निकायों दोनों के लिए स्टाफ के वेतन,

iii. विद्युत,

iv. दूरसंचार,

v. स्वास्थ्य,

vi. शिक्षा, और

vii. मजदूरी रोजगार कार्यक्रम और स्टॉफ घटक।

4. धनराशि का आबंटन

4.1 वित्त वर्ष 2015–16 से 5 वर्ष के लिए अमृत के लिए कुल परिव्यय 50,000 करोड़ रू0 है और मिशन को केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम के रूप में संचालित किया जाएगा। इसके बाद अमृत को शहरी विकास मंत्रालय द्वारा किए गए मूल्यांकन के आलोक में और मिशन में मिले अनुभव को शामिल करते हुए जारी रखा जाएगा। मिशन निधियों में निम्नलिखित चार भाग शामिल होंगें :

i. परियोजना निधि–वार्षिक बजटीय आवंटन के 80%

ii. सुधारों के लिए प्रोत्साहन–वार्षिक बजटीय आवंटन के 10%

iii. प्रशासनिक और कार्यालयी व्यय (ए एंड ओई) के लिए राज्य की निधि–वार्षिक बजटीय आवंटन के 8%

iv. प्रशासनिक और कार्यालयी व्यय (ए एंड ओई) के लिए शहरी विकास मंत्रालय की निधि–वार्षिक बजटीय आवंटन का 2%

तथापि, वित्तीय वर्ष 2015–16 के लिए परियोजना निधि वार्षिक बजटीय आवंटन का 90% होगी क्योंकि सुधारों के लिए प्रोत्साहन वित्तीय वर्ष 2016–17 से ही दिया जाएगा। मिशन निधियां राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को निम्नलिखित सिद्धांतों के आधार पर आवंटित की जाएगी।

4.2 परियोजना निधि

प्रत्येक वर्ष के शुरूआत में परियोजना निधि राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के बीच विभाजित की जाएगी। वार्षिक बजटीय आवंटन की संवितरण के लिए एक समान फार्मूला का उपयोग किया जाएगा जिसमें प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र (जनगणना 2011) के शहरी आबादी और राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों के सांविधिक कस्बों की संख्या को बराबर (50:50) महत्व दिया गया है। चूंकि सांविधिक कस्बों की संख्या राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा अधिसूचित किया जाता है और मिशन अवधि के दौरान परिवर्तित किया जाएगा, प्रत्येंक वर्ष इस संख्या में परिवर्तन के फार्मूले को ध्यान में रखा जाएगा। आवंटित परियोजना निधि की राशि के बारे में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को उपयुक्त समय पर सूचित किया जाएगा। परियोजना के लिए केन्द्रीय सहायता (सीए) अनुमोदित लागत (पैरा 9) के 20:40:40 की तीन किश्तों में होंगी।

4.3 सुधार के लिए प्रोत्साहन

मिशन का एक उद्देश्य सुधारों के माध्यम से शासन में सुधार लाना है। मिशन अवधि के दौरान 11 सुधारों का कार्यान्वयन किया जाएगा। सूची अनुलग्नुक 1 में दी गई है। राज्यों के लिए प्रोत्साहन के अनुदान निम्न सिद्धांतों से शासित होंगे।

i. पिछला अनुभव दर्शाता है कि यदि परियोजना निधि जारी करना अपूर्ण सुधारों से जुड़ जाता है तो परियोजना में विलंब हो जाता है। इसलिए अमृत देने के बजाय प्रोत्साहन प्रदान करता है। वार्षिक

बजट आबंटन के 10% को अलग रखा जाएगा और सुधारों को प्राप्त करने हेतु राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को प्रोत्साहन के रूप में दिया जाएगा। मिशन अनुवर्ती वित्तीय वर्ष (एफवाई) के शुरूआत में पूर्व वर्ष के लिए प्रोत्साहन देगा। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों अनुलग्नक 2 के तालिका 5.5 में दिए गए निर्धारित प्रक्रिया में स्व–आकलन करेंगे। राष्ट्रीय मिशन निदेशालय स्व–आकलन की प्राप्ति होने पर राज्यों को प्रोत्साहन के पुरस्कार की घोषणा करेंगे।

ii. प्रोत्साहन निधि एक अतिरिक्त धनराशि के रूप में है जो शहरी विकास मंत्रालय द्वारा मुहैया किया जाएगा और राज्य/शहरी स्थानीय निकाय द्वारा कोई समान निधि दिए जाने की आवश्यकता नहीं होगी।

iii. राज्य उच्च अधिकार प्राप्त समिति (एसएचपीएससी) प्रोत्साहन राशि के उपयोग का निर्णय करेगी। प्रोत्साहन अवार्ड का उपयोग नई परियोजनाओं सहित अमृत के स्वीकार्य घटकों पर मिशन शहरों में किया जाएगा। एसएचपीएससी शहरी विकास मंत्रालय को परियोजनाओं पर प्रोत्साहन निधि के उपयोग के बारे में सूचना प्रदान करेगी।

iv. प्रोत्साहन राशि को अमृत में परियोजना के राज्य अंश के रूप में उपयोग नहीं किया जा सकता लेकिन शहरी स्थानीय निकायों द्वारा उनके परियोजना वित्तपोषण के लिए उपयोग किया जा सकता है।

v. सुधार हेतु अनुपयुक्त निधियों को प्रत्येक वर्ष में परियोजना निधि में परिवर्तित किया जाएगा।

4.4 राज्य निधि (प्रशासनिक एवं कार्यालयी व्यय)

i. निधियां सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को पैरा 4.2 में दिए गए समान सूत्र के आधार पर आवंटित किए जाएंगे।

ii. इन निधियों के उपयोग की सिफारिश एसएचपीएससी द्वारा की जाएगी और राज्य वार्षिक कार्य योजना (एसएएपी) का एक भाग तैयार किया जाएगा।

iii. इस निधि को क्षमता निर्माण कार्यक्रमों के लिए उपयोग किया जाएगा और वाहनों की खरीद, भवनों का निर्माण और रखरखाव, पदों के सृजन, वेतन का भुगतान और साज–समान के खरीद आदि के लिए उपयोग नहीं किया जाएगा।

iv. सभी स्तरों पर मिशन के कार्यान्वयन में सहायता के लिए संविदा पर व्यावसायिकों तथा सहायक दलों की भर्ती स्वीकार्य होगी जैसा कि दिशा–निर्देशों तथा निष्पक्ष और पारदर्शी प्रक्रियाओं को अपनाने के पश्चात निर्धारित किया जाए।

v. क्षमता निर्माण के लिए निधियाँ उपर्युक्त परियोजना निधियों के लिए दिए गए समान किश्तों में जारी की जाएगी।

vi. सेवा के रूप में ई–म्यूनिसिपल्टी (ई–मास) से संबंधित गतिविधियां आरंभ करना।

vii. अमृत मिशन के लोगो और टैगलाइन को सभी परियोजनाओं पर प्रमुखता से प्रदर्शित करना।

viii. चालू व्यापक क्षमता निर्माण कार्यक्रम (सीसीबीपी) और स्वतंत्र समीक्षा और निगरानी एजेंसियों (आईआरएमए) सहित मिशन कार्यान्वयन में सहायता प्रदान करने वाली संस्थागत व्यवस्थाएं इस निधि से वित्त पोषण किए जाने हेतु पात्र होंगी।

4.5 शहरी विकास मंत्रालय की निधि (प्रशासनिक और कार्यालयी व्यय)

i. निधि राष्ट्रीय मिशन निदेशालय स्तर (शहरी परिवहन प्रभाग सहित) पर क्षमता निर्माण मिशन निदेशालय, राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय कार्यशालाओं के आयोजन, पुरस्कार प्रदान करने और उत्तम व्यवहार के पहचान, उत्तम व्यवहारों का उन्नयन और पुनः प्रयोग और स्मार्ट समाधान, क्षमता निर्माण और प्रौद्योगिकी विकास हेतु उत्कृष्टता केन्द्रों और अन्य संस्थाओं एवं अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से अनुसंधान और संबंद्ध अध्ययन प्रारंभ करना आदि के लिए उपयोग किया जाएगा।

ii. ई–मास से संबंधी गतिविधियां आरंभ करना।

iii. किसी भी अन्य उद्देश्यों के लिए इन निधियों के उपयोग के संबंध में शीर्ष समिति द्वारा निर्णय लिया जाएगा।

5. वित्तपोषित किए जाने वाले घटक

5.1 परियोजना की वित्तपोषण पद्धति निम्नानुसार है जिसमें केन्द्र सरकार/राज्य सरकार/शहरी स्थानीय निकाय/निजी क्षेत्र का अंश दर्शाया गया है।

क.सं.	घटक	वित्त–पोषण पद्धति
1	जलापूर्तिः • नए, जलापूर्ति प्रणाली का संवर्द्धन और पुनर्स्थापन। • जलापूर्ति के लिए जल निकायों का नवीकरण और भू–जल के पुनर्भरण। • दुर्गम क्षेत्रों, पहाड़ी और तटीय शहरों हेतु विशेष प्रबंधन।	• 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों के लिए भारत सरकार से अनुदान के रूप में परियोजना लागत की एक–तिहाई। • 10 लाख तक आबादी वाले शहरों/कस्बों के लिए अनुदान के रूप में परियोजना लागत का आधा। • राज्य सरकारों/शहरी स्थानीय निकायों अथवा निजी निवेश के माध्यम से शेष राशि वित्तन पोषण। निविदा में उपयोक्ता प्रभारों के आधार पर पांच वर्ष के लिए प्रचालन और अनुरक्षण लागत शामिल होंगे। परियोजना लागत के आकलन के लिए प्रचालन और अनुरक्षण लागत छोड़ दी जाएगी; तथापि राज्य/शहरी स्थानीय निकाय, अपने को आत्मनिर्भर और लागत प्रभावी बनाने के लिए उचित लागत वसूली तंत्र के माध्यम से प्रचालन और अनुरक्षण का वित्तपोषण करेंगे। एसएलआईपी (पैरा 6 देखें) में सभी परिवारों के जल और सीवरेज कनेक्शन का प्रावधान पहले प्रदान किया जाएगा।
2	सीवरेज : • नए सीवरेज प्रणालियों और शोधन संयंत्रों का संवर्धन और पुनर्स्थापन। • लाभकारी उद्देश्यों के लिए जल का पुनःचक्रण और • अपजल का पुनःउपयोग।	
3	सेप्टेज : • मलगाद प्रबंधन (सफाई, ढुलाई और शोधन), सेप्टिक टैंकों और सीवरों का विशेषतः यांत्रिक और जैविक सफाई।	
4	वर्षा जल नाले : • नालियों और वर्षा जल नालों का निर्माण और सुधार।	
5	शहरी परिवहनः • साईड बॉक्स, फुट ऑवर ब्रिज, गैर–मोटरीकृत परिवहन, बसें, बीआरटीएस, बहु–स्तरीय पार्किंग, जल मार्ग और नौका वाहिकाओं।	

6	• हरित स्थान और शिशु–अनुकूल घटकों हेतु विशेष प्रावधान के साथ पार्कों का विकास/पार्कों के लिए शहरी स्थानीय निकायों को स्थानीय निवासी भागीदारी के साथ–रखरखाव हेतु प्रणाली का स्थापना करना होगा।	भारत सरकार द्वारा परियोजना लागत का आधा और इन परियोजनाओं पर कुल व्यनय राज्य वार्षिक कार्य योजना (एसएएपी) के 2.5% से अधिक नहीं होगी।
7	• क्षमता निर्माण और सुधारों का समर्थन	शीर्ष समिति द्वारा निर्धारित मौजूदा मानदंडों और इकाई लागतों के आधार पर भारत सरकार द्वारा पूरा (100%)
8	• ए एंड ओई (पीएमयू/पीआईयू/डीपीआर लागत, आदि)	

6. सेवा स्तरीय सुधार योजनाओं (एसएलआईपी) की तैयारी

6.1 जलापूर्ति और सीवरेज (सेप्टेज़ सहित) के साथ सभी परिवारों को शामिल करना इसका प्राथमिक उद्देश्य है। इसके लिए अनुलग्नक 2 के भाग 2 में दिए गए अनुसार सेवा स्तरीय सुधार योजना (एसएलआईपी) प्रत्येक यूएलबी को तैयार करने हैं और कार्यनीतिक कदम नीचे दिए गए हैं।

6.2 **सेवा स्तरीय अंतराल का मूल्यांकन करना:** अमृत राज्यों/शहरी स्थानीय निकायों के साथ जलापूर्ति तथा सीवरेज़ पर उपलब्ध आकड़ों, सूचनाओं तथा योजनाओं पर तैयार की गई है। यदि हम इस जोन को जलापूर्ति तथा सीवरेज़ की सीमा के वर्तमान स्तर के लिए आधार इकाई के रूप में लेते हैं तो इस जोन में परिवारों की संख्या, जिनक पास नल टोंटी/सीवरेज कनेक्शन है तथा जिनके पास ये सुविधाएं नहीं है, को जनगणना (2011) अथवा शहरी विकास मंत्रालय[1] द्वारा कराए गए आधारभूत सर्वेक्षण से लिया जाएगा। (कोई नया बेसलाइन सर्वेक्षण नहीं किया गया है तथा राज्य/शहरी स्थानीय निकाय पूर्ववर्ती बेसलाइन को स्वीकार/ संलग्न करें)। क्षेत्र–वार अंतरालों को यूएलबी में जलापूर्ति तथा सीवरेज में सेवा स्तरीय अंतरालों तक पहुंचने के लिए जोड़ा जाएगा।

6.3 **अंतराल को भरना** : जल तथा सीवरेज/सेप्टेज़ कनेक्शन वाले परिवारों की वर्तमान संख्या की तुलना में कुल परिवारों की संख्या के बीच के अंतराल की एक बार गणना हो जाने पर, जलापूर्ति तथा सीवरेज़ के शीर्ष के अंतर्गत पैरा 3 में वर्णित घटकों के एक या अधिक का प्रयोग करते हुए अंतरालों को भरने के लिए योजनाओं को तैयार किया जाएगा। एक क्षेत्र में सभी परिवारों को शामिल किया जाएगा तथा जलापूर्ति और सीवरेज़ के लिए यह कार्य पृथक रूप से किया जाए तथा यह एसएलआईपी का भाग होगा (तालिका 2.1, अनुलग्नक 2)

6.4 **विकल्पों का मूल्यांकन** : शहरी स्थानीय निकाय को उनके पास उपलब्ध विकल्पों की जांच करनी होगी। उदाहरण के लिए, एक राज्य/शहरी स्थानीय निकाय की वितरण में अंतराल को भरने की आवश्यकता हो सकती है। अन्य राज्य/शहरी स्थानीय निकाय के पास दूरस्थ जल स्त्रोतों तक अनेक समुदायों को जोड़ने के लिए सार्वजनिक ग्रिड की आवश्यकता हो सकती है। सीवरेज में, कुछ राज्य/शहरी स्थानीय निकाय केन्द्रीकृत एवं विकेन्द्रीकृत प्रणालियों के योग का चयन कर सकते हैं। इनके अलावा, सीवरेज तंत्र प्रणालियों की लागत पर विचार कर, कुछ शहरी स्थानीय निकाय कुशल सेप्टेज़ प्रबंधन प्रणालियों का चयन कर सकते हैं। इसलिए, सभी के लिए एक समान दृष्टिकोण उपयुक्त नहीं होगा तथा कम संसाधनों के साथ अधिक करने के लिए विकल्पों का सृजन किया जाए और इसे इस प्रकार किया जाए कि यह लाभ लोगों तक नल और शौचालय के रूप में पहुंचे।

[1] शहरी जल तथा स्वच्छता क्षेत्र (2012), स्थिति रिपोर्ट (2010–11), शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार में सेवा स्तर देखें।

स्वच्छता शपथ

महात्मा गांधी ने जिस भारत का सपना देखा था उसमें सिर्फ राजनैतिक आजादी ही नहीं थी, बल्कि एक स्वच्छ एवं विकसित देश की कल्पना भी थी।

महात्मा गांधी ने गुलामी की जंजीरों को तोड़कर माँ भारती को आज़ाद कराया।

अब हमारा कर्तव्य है कि गंदगी को दूर करके भारत माता की सेवा करें।

मैं शपथ लेता हूँ कि मैं स्वयं स्वच्छता के प्रति सजग रहूँगा और उसके लिए समय दूंगा।

हर वर्ष 100 घंटे यानी हर सप्ताह 2 घंटे श्रमदान करके स्वच्छता के इस संकल्प को चरितार्थ करूँगा।

मैं न गंदगी करूँगा न किसी और को करने दूंगा।

सबसे पहले मैं स्वयं से, मेरे परिवार से, मेरे मुहल्ले से, मेरे गांव से एवं मेरे कार्यस्थल से शुरूआत करूँगा।

मैं यह मानता हूँ कि दुनिया के जो भी देश स्वच्छ दिखते हैं उसका कारण यह है कि वहां के नागरिक गंदगी नहीं करते और न ही होने देते हैं।

इस विचार के साथ मैं गांव-गांव और गली-गली स्वच्छ भारत मिशन का प्रचार करूँगा।

मैं आज जो शपथ ले रहा हूँ, वह अन्य 100 व्यक्तियों से भी करवाऊँगा।

वे भी मेरी तरह स्वच्छता के लिए 100 घंटे दें, इसके लिए प्रयास करूँगा।

मुझे मालूम है कि स्वच्छता की तरफ बढ़ाया गया मेरा एक कदम पूरे भारत देश को स्वच्छ बनाने में मदद करेगा।